will the hon. Minister let us know whether such a technology is immediately available ?

श्री सुन्दर लाल पटवा :सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया हैं उसमें कई बातें पूछी हैं। पिछले तीन साल की टेकनालॉजी के बारे में, फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, दो-तीन बातों के बारे में उन्होने जानकारी चाही हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो टेकनालॉजी के विकास में और ट्रासंफर मे निरन्तरता हैं उसमें किसी एक कार्य को किसी एक मुकाम पर ठहर करके कहा नहीं जा सकता है कि आज यह टेक्नालॉजी ट्रासंफर करके हमने लागू करने का प्रयास किया हैं और यही सर्वोत्तम है। इसमें कुछ समय बाद दोप प्रतीत होते हैं और फिर नई टेक्नालॉजी आती है। ....(**व्यवधान**)...

श्री शंकरराव चव्हाण : आपके पास कुछ तो रिजल्ट होंगे, कुछ तो जानकारियां होगीं? आप कुछ तो रिजल्ट बताइये? सारी चीज के लिए आप इवेजिव रिप्लाई देते आ रहे है।

श्री सुन्दर लाल पटवा : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चव्हाण साहब से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप वरिष्ठ सदस्य हैं। पिछले तीन साल में क्या प्रगति हुई हैं इस बात की जानकारी अगर आप मुझसे चाहते हैं तो इस गुजरात के प्रश्न से संबंधित जो जानकारी मेरे पास हैं उतनी मैं आपको उपलब्ध करवा सकता हूं। यदि आप विस्तार से जानकारी चाहते हैं.....

श्री सभापति **:** नहीं, वह गुजरात की युनिवर्सिटी की ही जानकारी चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं।

DR. BIPLAB DASGUPTA: Sir, it seems that the Minister has not applied his mind to this question. That is why the answers given to all questions by him were evasive and superficial. He has not given any thought to the whole question of rural technology. So, I would suggest that instead of wasting the time of the House on this question, let us proceed to the next question because he is not giving any answer to us. Let us not put any more questions to him.

MR. CHAIRMAN : All right. We go to the next question.

खतरनाक उद्योगों में कार्यरत बाल मजदूर

*542. **श्री रमा शंकर कौशिक** :
प्रो. रामगोपाल यादव :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

†सभा में यह प्रश्न श्री रमा शंकर कौशिक द्वारा पूछा गया।

(क) इस समय देश में बाल मजदूरों की संख्या कितनी है तथा उनमें से खतरनाक उद्योगों में कार्यरत बात मजदूरों की संख्या कितनी हैं;

(ख) क्या सेन्टर ऑफ कन्सर्न फॉर चाइल्ड लेबर ने इस संबंध में सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं और;

(ग) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट में क्या सुझाव दिए गए हैं तथा रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर प्रभावी रूप से अमल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यक्रम बनाया गया हैं?

श्रम मंत्री (डॉ सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पट पर रखा दिया गया हैं।

विवरण

(क) दस वर्षीय जनगणना के दौरान बाल श्रम के संबंध में प्रामणिक सूचना एकत्र की जाती हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार, देश में कामकाजी बच्चों की कुल संख्या 11.28 मिलियन हैं। बच्चों की संख्या के उद्योग – वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) और (ग) "सेन्टर ऑफ कन्सर्न फॉर चाइल्ड लेबर" ने अप्रैल, 2000 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, बाल श्रम की परिभाषा, बाल श्रम की सीमा, बाल श्रम के प्रकारों, बाल श्रम के संबंध में भारत सरकार की नीति, भिन्न-भिन्न मॉडलों के माध्यम से बाल श्रम के पुनर्वास तथा भावी चुनौतियों का ब्यौरा दिया गया हैं। सरकार ने रिपोर्ट की विषय-वस्तु को नोट कर लिया हैं।

सरकार, बाल श्रम के सभी रूपों का उन्मूलन करने के उद्देश्य के लिए कृतसंकल्प हैं। इस समस्या की प्रकृति और व्यापकता को ध्यान मे रखते हुए बाल श्रमिकों को कार्य से हटाने और उन्हे पुनर्वासित करने के लिए एक क्रमिक, उत्तरोत्तर और आनुक्रमिक दृष्टिकोण अपनाया गया हैं।

बच्चों के पुनर्वास के लिए सरकार दो योजनाओं अर्थात् राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कार्यक्रम तथा स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता-अनुदानर को कार्यान्वित कर रही हैं। फिलहाल 1.9 लाख बच्चों के पुनर्वास के लिए बाल श्रम की बहुलता वाले 10 राज्यों में 92 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा हैं। सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत इस समय 70 से अधिक परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। परियोजना संबंधी कार्यकलापों की आवधिक रिपोर्टे प्राप्त करके तथा केन्द्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर निरीक्षण द्वारा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के कार्य निष्पादन का प्रबोधन (मॉनीटरिंग) किया जा रहा हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम

परियोजना के समग्र पर्यवेक्षण, प्रबोधन और मूलयांकन के लिए केन्द्रीय श्रम सचिव की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय प्रबोधन समिति गठित की गई हैं। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के उपबंधों का प्रबोधन किया जा रहा हैं।

Child Labour in Hazardous Industry

† 542. SHRI RAMA SHANKER KAUSHIK :††

PROF. RAM GOPAL YADAV :

Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) the number of child labourers at present in the country and out of this how many are working in hazardous industries;

(b) whether Centre of Concern for Child Labour has submitted any report in this regard to the Government; and

(c) if so, the suggestions made in the said report and the programme formulated by Government to effectively implement the suggestions made in the report?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA) : (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) Authentic information on child labour is generated during the decennial census. As per the 1991 census, the total number of working children in the country is 11.28 million. Industry wise figures of number of children are not maintained.

(b) and (c) Centre of Concern for Child Labour submitted a report in April, 2000. The report, *inter-alia,* contains details on the definition of child labour, extent of child labour, types of child labour, Government of India's Policy towards child labour, rehabilitation of child labour through different models and challenges for future. Government has noted the contents of the Report.

---

† Original notice of the Question was received in Hindi.

††The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Rama Shanker Kaushik.

Government is committed to the goal of eradication of child labour in all its forms. Considering the nature and magnitude of the problem a gradual, progressive and sequential approach has been adopted to withdraw and rehabilitate child labour.

Government has been implementing two schemes, for rehabilitation of children withdrawn from work, namely the scheme of National Child Labour Projects (NCLP) and the scheme of Grant-in-aid to Voluntary Organisations. At present 92 National Child Labour Projects are currently under implementation
in 10 child labour endemic states for rehabilitation of 1.9 lakh children. Over 70 projects are currently under implementation under the grant-in-aid scheme. The performance of NCLPs is being monitored through receipt of periodic reports of project activities and inspections undertaken at the Central, State and District level. A central Monitoring Committee under the Chairmanship of Union Labour Secretary has also been set up for the overall supervision, monitoring and evaluation of the NCLPs. The provisions of the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 are being monitored by the State and Central Governments. «

श्री रमा शंकर कौशिक : श्रीमन्, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा हैं कि माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर आधा-अधूरा दिया हैं और दूसरे, इसमें बाल श्रमिकों की समस्या को खत्म करने की कोई संकल्पबद्वता भी दिखाई नहीं पड़ती । श्रीमन्, मेरा प्रश्न मुख्य रूप से यह था कि ऐसे कितने बाल श्रमिक हैं जो घातक उद्योगों में लगे हुए हैं? माननीय मंत्री जी के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं हैं। यद्यपि 1995 में भारत सरकार ने यह संकल्प लिया था कि सन् 2000 तक जो 20 लाख बाल श्रमिक हैं और घातम उद्योगों में लगे हुए हैं, उनका पुनर्वास हम लोग कर देंगे। मेरे प्रश्न का "ए" पार्ट यह है कि क्या माननीय मंत्री जी यह बताएंगे कि क्या यह सत्य हैं कि 1995 में भारत सरकार ने 20 लाख घातक उद्योगों में लगे हुए बालश्रमिकों को पुनर्वासित करने का फैसला लिया था? यदि हां, तो उसका परिणाम क्या निकला?

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का "बी" पार्ट यह हैं कि माननीय मंत्री जी ने यह तो बताया हैं कि सेंटर ऑफ कंसर्न फॉर चाइल्ड लेबर ने अप्रैल 2000 में इनको रिपोर्ट सौंपी हैं और उस रिपोर्ट में बहुत सी बातें जैसे बाल श्रमिको के प्रकार, वे किस काम में लगे हुए है, यह भी और इसके क्या-क्या उपचार हो सकते हैं, यह भी हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि उन्होने केवल यह कहा कि हमने उस विषय वस्तु को नोट कर लिया हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि उस रिपोर्ट के अनुसार या जो उसकी संस्तुतियां हैं, उनमें से किन-किन बातों पर कार्यवाही करने का उनका इरादा हैं और दूसरे, क्या उस रिपोर्ट को वे सदन के पटल पर रखेंगे?

डा. सत्यनारायण जटिया : सभापति जी, खतरनाकर कामों में लगे हुए बाल श्रमिकों की संख्या के बारे में उन्होने पूछा हैं, वह 20 लाख हैं। ....(**व्यवधान**)... तो कुल बाल श्रमिक और खतरनाक कामों में लगे हुए बाल श्रमिकों में अंतर हैं और इसलिए जो खतरनाक कामों में लगे हुए हैं, उनकी संख्या 20 लाख हैं।

महोदय, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट को 1994-95 में स्वीकार किया गया किंतु इसको स्वीकार करने के लिए केबिनेट मे आर्थिक मामलों की समित के सामने लाने का काम 23 जनवरी , 1999 को किया गया जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी। तब तक ये योजनाएं प्रस्तावित रूप से ही चलती थी और उन सारी योजनाओं पर 10994-95, 1995-96 और 1997-98 तक का जो खर्च था वह 13 करोड़ 17 लाख रूपए ही हो पाया। जब इन बाल श्रमिक योजनाओं के बारे में सरकार ने 23 जनवरी, 1999 को फैसला किया तो उन्होने 100 योजनाओं को स्वीकृति देने का काम किया और उन योजनाओं को जब स्वीकृति मिल गई तो 1999-2000 तक हमने 92 योजनाओं को स्वीकार कर लिया था। इन 92 योजनाओं के अंतर्गत 3100 स्कूल चलते है और इनके माध्यम से 1 लाख 90 हजार बाल श्रमिकों को शिक्षित करने का हमने काम किया हैं। इस दृष्टि से यह जो नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट है, इसके सामने मुख्य लक्ष्य यह था कि खतरनाक कामों में लगे हुए 20 लाख बाल श्रमिकों को निकाल कर पुनर्वासित करना और उनको शिक्षित करना। इस प्रकार से यह काम करने का प्रयास इस मंत्रालय ने किया हैं।

दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य का यह था कि बाल मजदूरों की शिक्षा एवं पुनर्वास पर जो श्री जोसेफ गाठिया की रिपोर्ट हैं, उसके बारे में भी सुझाव दिए गए हैं। उनके उद्देश्य भी हैं और उन्होने कहा हैं बाल मजदूरों के पुनर्वास की वर्तमान स्थिति समझना, बाल मजदूरी संबंधी मिथकों से जनसाधारण को परिचित कराना, पुनर्वास में भविष्य की चुनौतियों की ओर संकेत देना, इस प्रकार उनके इस परियोजना पर काम करने का उद्देश्य थे। जो सुझाव आए उनमे चार प्रमुख सुझाव उन्होने दिए हैं। उनमें से पहला सुझाव था अब तक के अनुभव के आधार पर परियोजनाओं का सुझाव देना, परियोजनाओं का बनाया जाना, श्रम मंत्रालय द्वारा बाल मजदूरों के पुनर्वास के लिए अलग से विभाग बनाया जाना, बाल मजदूरो के पुनर्वास की कानूनी प्रक्रिया को कानूनी जामा पहनाया जाना तथा पुनर्वास में महज प्राथमिक शिक्षा एकेश राशि के प्रावधानों से आगे सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को ध्यान में रखकर पुनर्वास का खर्च तय किया जाना । ये प्रमुख चार सुझाव प्राप्त हुए थे। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि यह रिपोर्ट हमने ही मंगाई हैं। जब यह प्रश्न सामने आया तब यह रिपोर्ट प्राप्त की गई और जो सुझाव आए हैं हमने उन्हे भी अपने संदर्भ में सामने रखा हैं और इसे आधार बनाकर ही कि इस दिशा मे आगे क्या किया जा सकता है, उस पर विचार करने का काम किया हैं।

श्री रमा शंकर कौशिक : क्या पूरी रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेंगे?

डा. सत्यनारायण जटिया : मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि यह ट्रायल डोक्यूमेंट हैं सरकारी नहीं हैं इसलिए रख देंगे। आप जैसा कहेंगे वैसा कर देंगे।

श्री रमा शंकर कौशिक : सभापति महोदय, मेरा अन्य प्रश्न यह हैं कि माननीय मंत्री जी का विभाग, जो बाल श्रमिकों की संख्या निकालता हैं, जिसका स्रोत केवल जनगणना है यह स्रोत सही नही बैठता। जहां तक बाल श्रमिकों की गणना का संबंध है इसकी सही तस्वीर, बाल श्रमिकों की संख्या के मामले में हम मुतमईन नहीं हो सकते हैं कि वह सही होगी। जनगणना के आधार पर,क्योंकि जनगणन जिस प्रकार से होती हैं उसमें बाल श्रमिकों को चिहिन्त करना बहुत मुश्किल हैं और यह संभव भी नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कृपया आप अपने विभाग के जरिये या अन्य और तरीको से या जो अन्य सुझाव है, जो एन.जी.ओज. हैं उनकी सहायता से इसकी ठीक तस्वीर सामने लाएं। माननीय मंत्री जी ने जो 11.28 संख्या दी हैं वह अनुमानतः गलत हैं। लगभग सवा दो करोड़ बाल श्रमिक विभिन्न उद्योगों में इस समय लगे हुए है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि वे 1,90,000 बच्चों के पुनर्वास की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उन्होने घातक की बात नहीं लिखी। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन्होने इस समय जो संकल्पबद्वता रखी हैं उसमें वे घातक उद्योगों को पहले रखें। माननीय मंत्री जी ने 1,90,000 की संख्या बाल श्रमिको के रूप में दी हैं। जो परियोजनाएं चल रही हैं राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना और 70 एन.जी.ओज के जरिये आपकी जो परियोजनाएं चल रही हैं कृपा करके उनमें आप घातक उद्योगों के बच्चों को पुनर्वासित करने की परियोजना बनाएं क्योंकि 1999 में आई.एल.ओ. की जो बैठक हुई थी उसमें भी आपने यह संकल्पबद्वता दोहराई हैं कि घातक उद्योगों के बच्चों को पहले पुनर्वासित करेंगे इसलिए आप उस पर कायम रहिए।

सभापति महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह हैं कि हमारे यहां 11 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिन्हे स्कूल जाना चाहिए उनमें से साढ़े तीन करोड़ बच्चे जा नहीं पाते। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे मानव संसाधन विकास मंत्रालय में जरिये इस योजना को शुरू करेंगे ताकि इन बच्चों के लिए शिक्षण की व्यवस्था हो सके? क्या आप उस ओर ध्यान देंगे?

डा. सत्यनारायण जटिया : माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिए हैं मैं उनसे सहमत हूं। जिस प्रकार उन्होने पूछा हैं कि क्या वे एन.जी.ओज. और बाल श्रमिकों के बारे में सही जानकारी लेने का प्रयास करेंगे उस संबंध में मैं बोलना चाहता हूं कि हमने इस संबंध मैं सिम्पल सर्वे का भी काम किया हैं। आप जानते है कि जब भी इस प्रकार के सिम्पल सर्वे शुरू होते हैं तो जो

कारखानेदार लोग हैं उन्हे पहले ही खबर हो जाती हैं और वे कारखाने बंद कर देते हैं इसलिए हमें कोई सहयोग प्राप्त नहीं होता।

खतरनाक कामों में लगे हुए बच्चों का सर्वे करने का प्रयास श्रम मंत्रालय ने किया हैं। बाकी की दृष्टि से जहां स्वयं सेवी संस्थायें है, जो सहयोग करना चाहती हैं उन संस्थाओं का हम सहयोग लेते रहते है। अभी पिछले मार्च महीने में हमने सभी संस्थाओं को बुलाकर इस अभियान को सार्थक बनाने के लिए, जागरूक करने के लिए किस प्रकार से काम करें, इसके लिए भी सुझाव मांगने का हमने काम किया हैं। निश्चित रूप उसे यह काम, यह समस्या केवल सरकार की समस्या नहीं हैं इसको एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए और हम इसको राष्ट्रीय समस्या के रूप में ही देखते हैं। निश्चित रूप से यह हमारे देश के भविष्य के लिए भी आवश्यक हैं क्योंकि आज के बच्चे कल के देश का भविष्य होते हैं। इस दृष्टि से भी इसके लिए सरकार की ओर से, समाज की ओर से और स्वयं सेवी संस्थाओं की ओर से कोशिश की जानी चाहिए और यही हमारा प्रयास हैं।

श्रीमती सविता शारदा : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि गुजरात में बाल मजदूरों की कितनी संख्या हैं तथा उनके कल्याण के लिए कौन—कौन सी योजनायें सुचारू रूप से चल रही हैं? उनकी शिक्षा के बारे में इन संस्थाओं के काफी कुछ किया लेकिन एक साक्षी के रूप में मैं कहना चाहती हूं कि पिछले 6 सालों से हम लोग बाल मजदूर योजना के अंतर्गत काम कर रहे हैं। सारी योजनायं चलती हैं लेकिन साल, दो साल के बाद वह ठप्प हो जाती हैं। पिछले साल हमने लगभग 600 बच्चों को इस योजना में लेकर कार्यक्रम शुरू किया, स्कूल चलाए। लगभग 600, 800 स्कूल चले। लेकिन अगर वहां किसी आई.ए.एस. आफिसर या कलेक्टर का तबादला होता है तो उनके तबादले के साथ ही यह योजना बंद हो जाती हैं । जितना काम हम करते हैं इसके कारण उस सारे किए पर, सारे कार्यक्रमों पर पानी फिर जाता हैं। मैं जानना चाहती हूं कि क्या मंत्री जी के पास कोई ऐसी योजना हैं जिससे यह काम हमेशा सुचारू रूप से चल सकें?

डा. सत्यनारायण जटिया : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्या ने जो प्रश्न पूछा हैं उसमें वह गुजरात के बाल श्रमिको के बारे में जानना चाहती हैं। जनगणना के आधार पर जो आंकड़े मेरे पास हैं उनके अनुसार 51 में 5,18,600, 1981 में 61,69,13 और 1991 में 52358 बाल श्रमिक गुजरात में चिन्हित किए गए थे। जहां माननीय सदस्या का यह कहना हैं कि योजनायें आधी ही चलती है और एन जी ओज को पर्याप्त सहायता ना मिलने के कारण भी काम करने में असुविधा होती हैं, इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि जो नेशनल चाइल्ड प्रोजक्ट हैं, इसके

अन्तबर्गत इस प्रकार की व्यवस्था है, पूरे क्षेत्र के लिए एक समिति रजिस्टर्ड कराई जाती हैं और उस समिति के माध्यम से जो एन जी ओज होते है उनको सहायता देकर जो बाल श्रमिक हैं उनका पनुर्वास करते हैं। जो बाल श्रमिक खतरनाक कामों में लगे हुए हैं उनको वहां से निकाल कर उनके पनुर्वास का काम किया जाता हैं। इसमें यह देखा जाता है कि जहां-जहां भी खतरनाक कामों में बाल श्रमिकों को देखा गया हैं तो वहां से उन बच्चों को निकाल कर उनका पुनर्वास करते हैं और जिसने नियोजन किया हैं, जो नियोक्ता हैं उस पर 20 हजार जुर्माना हैं, उसके बाद उस परिवार को और पांच हजार रूपया तथा उनको रोजगारी देने का काम करते हैं। यदि रोजगार नहीं मिलती तो पांच हजार रूपया उससे लेकर 25 हजार रूपये की व्यवस्था करते हैं जो कि इस समिति के माध्यम से होती हैं। इसके साथ ही नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजक्ट के माध्यम से भी हम कार्यक्रम चलाते हैं, विद्यालय चलाते हैं। देश भर मे ये 92 लगभग है। इस बारे में माननीय सदस्या अगर और सुझाव देंगी तो हम जरूर उनको स्वीकार करेंगे।

SHRI J. CHITHARANJAN : Sir, in his reply the Minister has said, "A Central Monitoring Committee under the Chairmanship of the Union Labour Secretary has also been set up for the overall supervision, monitoring and evaluation of the NCLPs."

I would like to know from the hon. Minister whether this Committee has submitted any report so far after evaluating the functioning of these projects. I would also like to know whether they have stated that these schemes are working properly and serving the purpose.

Have they made any recommendation to make some changes ? If so, what are the recommendations ? Are you thinking of extending these projects to more areas ?

डा. सत्यनारायण जटिया : माननीय महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या कमेटी ने कोई रिपोर्ट दी है। कमेटी ने इस प्रकार की रिपोर्ट देने का काम नहीं किया हैं। वह समय समय पर जिला कलक्टर को बुला कर के उसके बारे में समीक्षा करने का काम करती हैं। माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि सारी योजनाएं, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट को और एरियाज मे बढाया जाए, इसके लिए हमने निश्चय किया हुआ हैं। हमें तीन सौ प्रोजेक्ट्स की जरूरत हैं और 300 प्रोजेक्ट मिलने पर हम इस बाल श्रम को रोकने के लिए प्रभावी उपाय कर सकते हैं। अभी संख्या बढ़ कर के 92 हो गई हैं। अभी रीसेंटली ग्वालियर का मंजूर किया गया हैं। इस प्रकार से जिले से चल कर के, प्रदेश से चल कर के हमारे पास प्रोजेक्ट आती हैं तो हमको स्वीकार करने में प्रसन्नता होगी।

PROF. (SHRIMATI) BHARATI RAY: Sir, my supplementary relates to part (a) of the original question. We all know that child labour has become a major human rights issue and even the UNO. had passed a convention in this regard. Article 27 recognises the right of a child to a minimum standard of living. The Government of India has also enacted many laws, but, I am afraid, they are lifeless and regulatory in nature. I would like to know whether the Government is considering a legislation scrapping the present approach of prohibition and regulation, and, instead, bring about a new law which would be 100 per cent prohibition-oriented. This is part (a) of my supplementary. Part (b) of my supplementary is this. I would like to know whether the Government has any data regarding the most intolerable forms of child labour, namely, bonded labour, slavery and child prostitution. We all know that the condition of child labourers particularly, of female child labourers is bad because apart from sharing or carrying heavy loads, they are also subjected to sexual exploitation. I would also like to know whether there is any special law enforcing agency to inquire into this and to stop it. Also, is there any measure contemplated or taken to give compensation to the children who are cripped or seriously injured? As it is, they don't get any compensation.

डा. सत्यनारायण जटिया : माननीय सभापति महोदय, चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए जो संविधान में प्रावधान हैं और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी काम में लगाना बाल श्रम के अंतर्गत आ जाता हैं। किसी तरह से इसके दायरे को कम करना हैं तो हम करते जाएंगे और यह सरकार का उद्देश्य है और निरंतर हम इसकी ओर अतिक्रमण कर रहे हैं और बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। पहले 25 प्रोसेस और आकुपेशन तक सीमित था, अब यह बढ़ कर के हमने 64 कर दिया हैं। निश्चित रूप से मेरी चिंता गर्ल चाइल्ड लेबर के बारे में भी है और उसके बारे में भी हम काम कर रहे हैं। ....(**व्यवधान**)... मे पूरा जवाब देना चाहता था, ऐसी बात नहीं हैं। इस तरह से हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब हमने 64 में 51 प्रोसेस और 13 आकुपेश्न में इसको प्रोहिबिट कर दिया हैं। 9 और कामों पर प्रतिबंध करने का प्रस्ताव हमारे पास आया हुआ है। इस प्रकार से निरंतर हम बाल श्रम के दायरे को कम करना चाहते हैं और हम लक्ष्य बना कर के काम करना चाहते हैं। वर्ष 2000-2001 को बाल श्रम उन्मूलन और जागरण वर्ष के रूप में मनाने का निश्चय किया गया हैं। इस दृष्टि से हमारी कोशिश होगी।

PROF. (SHRIMATI) BHARATI RAY : What is the point in declaring if nothing is translated into action?

डा. सत्यनारायण जटिया : गर्ल चाइल्ड लेबर के बारे में जैसे हमने कहा हैं इसके बारे में विशेष चिंता करने का काम मंत्रालय जरूर करेगा क्योंकि यह बात जानकारी में आई हैं कि इस दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आई.एल.ओ. ने कनवेंशन नम्बर 182 हमारे पास भेजा हैं। श्रम मंत्रालय ने उसको तैयार किया हैं और श्रम मंत्रालय मंत्रि-परिषद् में जा कर के इसके अनुमोदन के बारे में प्रयास करेगा।

PROF. (SHRIMATI) BHARATI RAY : What about those who are injured?

DR. SATYA NARAYAN JATIYA : We will take care of this.

SHRI SANTOSH BAGRODIA : Mr. Chairman, Sir, I find that this particular problem of child labour is 100 years old because I find that even in 1921, some kind of law was passed by ILO on the child labour. In 1949, when we had the Indian Constitution, as the hon. Minister has said, this Directive Principle against the abuse of children in the tender age of up to 14 years; was laid down. But since then, despite all these kinds of laws which have come up, we find that the problem has been increasing. Every year, the number of child labourers is increasing. With this voluminous increase and with the resources in the country, I wonder if the Government can really solve this problem. Therefore, I would like to know from the hon. Minister whether the Government will concentrate on this aspect. Out of 20 lakhs of child labour in the hazardous industries, only four lakhs have been rehabilitated. Would you like to formulate a policy to see to it that only these children will be concentrated upon for the time being? Also, will you like to make a special law to deal with the supervisors, the employers etc., who are violating the laws or who are exploiting the girl child? Would you like to introduce a special law for such offenders?

डा. सत्यनारायण जटिया : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने कहा हैं कि इस समस्या का जिस प्रकार का प्रमाण हैं उसको देखते हुए जो हमारा प्रयास है वह कम हैं। परंतु इस बारे में हमने जो प्रयास आरंभ किया हैं उसमें नवीं पंचवर्षीय योजना में हमने 261 करोड़ रूपए का इसके लिए प्रावधान किया हैं और इस दृष्टि से हम खर्च करना चाहते हैं। किन्तु सरकार के वित्तीय स्त्रोतो के सीमित होने के कारण भी इस दिशा में आगे बढ़ने का काम हम उस गति से नहीं कर पा रहे हैं जितना कि राष्ट्र की अपेक्षा हैं। जो मूल समस्या हैं वह है गरीबी की, बेरोजगारी की, शिक्षा की गरीबी, शिक्षा और बेरोजगारी, ये समस्याएं निरंतर बनी हुई हैं जिनके प्रति सरकार का, देश का और संसद का ध्यान हैं। गरीबी के बारे में अनेक बार हम बोलते हैं लेकिन उसको दूर करने के लिए रोजगार की जरूरत हैं। यदि रोजगार बढ़ जाए तो गरीबी दूर हो जाएगी। जनसंख्या पर

नियंत्रण और जनसंख्या की समस्य के बारे मे तो हम सब वाकिफ है ही और इस दृष्टि से एक से संबंधित दूसरी समस्या हैं। यदि गरीबी को समाप्त करना चाहते हैं तो रोजगार चाहिए। तो शिक्षण और प्रशिक्षण चाहिए। तो सबसे बड़ी जरूरत हैं देश में शिक्षण करने की। यदि हमने आवश्यक रूप से सब बच्चों को शिक्षा देने के काम की नीति को कार्यान्वित करने के लिए जो आवश्यक धनराशि हैं उसके जुटाने का काम किया तो निश्चित रूप से इस बारे में एक बहुत बड़ी मदद हो सकती हैं। जहां तक आपने गर्ल चाइल्ड लेबर के बारे में कहा है, मैंने जैसा कि अभी बताया हैं कि इसके बारे में मंत्रालय विशेष कुछ उपबंध करने के लिए विचार कर रहा हैं और यह विचार हमारा जारी हैं। जैसे ही इस बारे में हम कुछ निष्कर्ष पर आएंगे इसको अवगत कराने में मुझे प्रसन्नता होगी।

MR. CHAIRMAN : Question No. 543.

Oil and Natural Gas Reserves in Andhra Pradesh

*543. SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state :

(a) the details of places in Andhra Pradesh where oil and and natural gas reserves have been found during last five years; and

(b) the steps taken to further explore to make the country self-reliant in oil and natural gas?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI RAM NAIK) : (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) During the last five years i.e. 1995-96 to 1999-2000 oil and natural gas have been found in twelve new prospects in the State of Andhra Pradesh, viz. Lankapalaem, Adivipalaem, Mulikipalle, Mahadevapatnam, Enugapalli, Kesanapalli-West, Rangapuram, Magatapale, Gokarnapuram. Kesavadasupalaem, Laxmaneswaram and Sirikattapalle.

(b) Steps taken to increase the degree of self-reliance in oil and natural gas through exploration efforts include:

(i) Implementation of the New Exploration Licensing Policy (NELP) In the first round 25 blocks were awarded and Production Sharing Contracts for 22 blocks including 7 deep water blocks, were signed in a time bound manner.